

468

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 31/12/19

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो :- मनोहरसिंह पिता श्री रतनसिंह गवली, अ०अ०पु थांदला, पुलिस विभाग जिला झाबुआ
 2. वर्तमान धारित पद :- एस०डी०ओ०पी० 3. वर्तमान वेतन:- 62302 रुपये अगली वेतन वृद्धि की तारीख- 07/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या सम्बन्ध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गयी हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
सनसिटी कॉलोनी रतलाम	1000 वर्गफीट प्लाट	--	13 लाख रुपये लगभग	स्वयं एवं पत्नी के नाम पर श्रीमती तोषी पति सी०एल० शर्मा निवासी कस्तूरबा नगर रतलाम से दिनांक 7.8.2007 को क्रय किया गया।	निरंक	
ट्रेजर फेंटेसी टाउनशिप रंगवासा राउ रोड इन्दौर	1500 वर्गफीट प्लाट	--	लगभग 16 लाख 50 हजार रुपये	स्वयं के नाम पर अशोक पोरवाल पिता रामकरण पोरवाल मारुति अपार्टमेंट उषानगर इन्दौर से 16 लाख 50 हजार में क्रय किया गया है।	निरंक	
ग्राम डेहरी तहसील कुक्षी जिला धार	पुश्तैनी मकान	पुश्तैनी कृषि भूमि 7 बीघा		श्री रतनसिंह गवली (पिता) के नाम पर पुश्तैनी	1 लाख रुपये लगभग	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिये।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही सही निर्धारण करना सम्भव हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक बारह महीने के अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर -

नाम- मनोहरसिंह गवली

पद- एस०डी०ओ०पी० थांदला

विभाग- पुलिस विभाग, जिला झाबुआ